

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला – बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्र.क.क.मांक-492 / 2010
संस्थित दिनांक-02 / 07 / 2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

विरुद्ध

बिरनलाल पिता गोविन्द सोनवाने, उम्र-32 वर्ष,
निवासी-भीमजोरी, थाना मलाजखंड,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक-16/10/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने आरोपी दिनांक-10.06.2010 को समय 15:30 बजे स्थान ग्राम पौनी आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक-एम.पी. 28/बी.डी.0491 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, उक्त वाहन से आहत विरेन्द्र को ठोस मारकर दाहिने पैर में घोर उपहति कारित किया।

2- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी दिनांक-10.06.2010 को समय 15:30 बजे स्थान ग्राम पौनी आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अंतर्गत मार्शल वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक-एम.पी. 28/बी.डी.0491 को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए विरेन्द्र को ठोस मार दिया जिससे आहत के दाहिने पैर में चोट कारित हुई। फरियादी द्वारा उक्त घटना की वाहन चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई, उक्त रिपोर्ट पर थाना मलाजखंड में वाहन चालक आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-45/2010, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.सं. एवं धारा-184 मोटर यान अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत विरेन्द्र का मुलाहिजा करवाया गया, पुलिस ने विवेचना दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया, दुर्घटना कारित वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आहत विरेन्द्र की चिकित्सीय एक्सरे रिपोर्ट के अनुसार आहत को अस्थि भंग होने से धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा कर अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

1. क्या आरोपी दिनांक-10.06.2010 को समय 15:30 बजे स्थान ग्राम पौनी आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक-एम.पी. 28/बी.डी.0491 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत विरेन्द्र को ठोस मारकर दाहिने पैर में घोर उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत विरेन्द्र (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता। घटना 6-7 साल पहले की है, वह पौनी में मोटरसायकल से रोड़ के किनारे खड़ा था। दोपहर लगीग 3 बजे आरोपी मार्शल गाडी से मोहगांव की तरफ आ रहा था। आरोपी ने बैल को बचाने के चक्कर में उसे टक्कर मार दिया, जिससे उसके पैर और हाथ टूट गया था। आरोपी के टक्कर मारने से वह बेहोश हो गया था। आरोपी गाडी कैसे चला रहा था, उसे नहीं मालूम। उसे ईलाज के लिये रायपुर लेकर गये थे तब वहां उसे होश आया था। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाया या नहीं उसे याद नहीं। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने वाहन को तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारा था, किन्तु साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी वाहन को तेजी से चला रहा था या नहीं उसने नहीं देखा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम, वह उसे नहीं पहचानता। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसने घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन के चालक को नहीं देखा था आरोपी के द्वारा उक्त वाहन को नहीं चलाया जा रहा था।

6— चिमनलाल (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह अपने पुत्र आहत विरेन्द्र के साथ पेट्रोल खरीदने गया था उसी समय आरोपी ने वाहन को चलाकर उसके लडके को टक्कर मार दिया। वह मौके पर नहीं था। जब वह बिरसा जा रहा था उसे घटना के बारे में जानकारी पता चली तो वह वापस थाने पहुंचा तो उसका लडका गाडी में बैठा हुआ था, वहां पर आरोपी और वाहन मालिक भी था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी

ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी की गाड़ी थाने में खड़ी थी और उसने गाड़ी का नम्बर देखकर पुलिस को बताया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी ड्यूटी रोजगार कार्यालय में सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक थी और वह ड्यूटी पर था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे शाम 5:30 बजे फोन आया तब उसे घटना के बारे में जानकारी हुई थी। साक्षी के कथन से प्रकट होता है कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था बल्कि ड्यूटी पर था। इस तथ्य की पुष्टि स्वयं आहत विरेन्द्र (अ.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हुये किया है कि उसके पिता घटना के समय ड्यूटी पर थे। इस प्रकार उक्त साक्षी मात्र अनुश्रुत साक्षी होना प्रकट होता है।

7— पुरुषोत्तम (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 पर हस्ताक्षर होना प्रकट किया है, किन्तु दुर्घटना कारित वाहन का परीक्षण करने से इंकार किया है।

8— राजेन्द्र (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी को पहचानने से इंकार करते हुये घटना के बारे में कोई जानकारी न होना प्रकट किया है। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित किये जाने के उपरांत भी साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

9— चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लोकनाथ सिंह (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय आहत विरेन्द्र की चोटों का परीक्षण करने पर उसे दांये पैर में उपहति कारित होने की पुष्टि की है तथा आहत को एक्सरे कराने हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया जाना प्रकट किया है। उक्त आहत का एक्सरे का परीक्षण करने वाले चिकित्सक डाक्टर डी.बैनर्जी (अ.सा.8) ने आहत विरेन्द्र की एक्सरे परीक्षण में उसे दाहिने पैर में अस्थि भंग होने की पुष्टि अपनी चिकित्सीय साक्ष्य में की है। आहत की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 एवं एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 है। उक्त चिकित्सीय साक्षीगण की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत विरेन्द्र को दुर्घटना के कारण घोर उपहति कारित हुई थी।

10— प्रधान आरक्षक मोहनलाल (अ.सा.7) ने फरियादी विरेन्द्र की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-45/2010, धारा-279, 337 भा.द.वि. दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 लेखबद्ध करने की पुष्टि की है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेन्द्र सिलेवार अ.सा.6 ने उक्त अपराध की डायरी विवेचना में प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-6, जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-7, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-8 एवं साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है। इस प्रकार उक्त साक्षीगण ने प्राथमिकी दर्ज करने एवं अनुसंधान कार्यवाही के संबंध में सम्पुष्टिकारक साक्ष्य पेश की है।

11— प्रकरण में अभियोजन की ओर से चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में मात्र विरेन्द्र (अ.सा.1) ने दुर्घटना का वृत्तांत अपनी साक्ष्य में पेश किया है, किन्तु इस साक्षी ने दुर्घटना कारित वाहन के चालक के रूप में स्पष्ट रूप से आरोपी की पहचान नहीं की

है बल्कि उसके कथन से यह प्रकट होता है कि घटना के समय आरोपी को छोड़कर कोई अन्य चालक वाहन चला रहा था। उक्त साक्षी के अलावा अभियोजन मामले का समर्थन किसी भी साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में नहीं किया है। अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने घटना के समय आरोपी के द्वारा दुर्घटना कारित वाहन को चलाये जाने की पुष्टि अपनी साक्ष्य में नहीं की है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाये जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत चिकित्सीय एवं अनुसंधाकर्ता की साक्ष्य से तथा स्वयं आहत विरेन्द्र की साक्ष्य से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय वाहन दुर्घटना में उसे घोर उपहति कारित हुई थी किन्तु उक्त घटना हेतु आरोपी को जिम्मेदार ठहराये जाने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है। अभियोजन के द्वारा अपना मामला आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया गया है।

12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आरोपी ने आरोपी दिनांक—10.06.2010 को समय 15:30 बजे स्थान ग्राम पौनी आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—एम.पी. 28/बी.डी.049 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए, उक्त वाहन से आहत विरेन्द्र को ठोस मारकर दाहिने पैर में घोर उपहति कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 338 के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

13— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक—एम.पी. 28/बी.डी.0491 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार मुरलीधर पिता सुंदरलालसिंह निवासी मलाजखंड थाना मलाजखंड जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है, जो अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट